

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एल 1-10/2016/डी.एम.सी./ब-07/16/चार

भोपाल दिनांक 29/03/2016

प्रति,


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त,
कोष एवं लेखा,
पर्यावास भवन,
मध्य प्रदेश, भोपाल
फैक्स - 0755-2676030

विषय :- राज्य शासन के कोष से आहरण से विमुक्ति बाबत।

निम्नांकित मर्दों हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी प्रतिबंध से छूट से आवश्यकता नहीं होगी :-

- (1) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी रिफण्ड एडजेस्टमेन्ट आर्डर, वन विभाग द्वारा वाणिज्यिक रिफण्ड एडजेस्टमेन्ट भुगतान
- (2) मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान - मंत्री द्वारा सहायता अनुदान,
- (3) विधायकों के स्वेच्छानुदान,
- (4) आपदा राहत से संबंधित कृषक हितग्राही के खाते में सीधे भेजे जा रहे भुगतान,
- (5) सड़क दुर्घटना से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में हितग्राही के खाते में किये जा रहे सीधे भुगतान

2/ उपरोक्त मर्दों हेतु कोषालय में देयक प्रस्तुत करने एवं आहरण किये जाने हेतु वित्त विभाग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।



(डॉ. नवनीत मोहन कोठारी)

संचालक बजट एवं अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक एल 1-10/2016/डी.एम.सी./ब-07/16/चार

भोपाल दिनांक 29/03/2016

प्रतिलिपि :-

- (1) शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्य प्रदेश,
- (2) समस्त संभागायुक्त / जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश,
- (3) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश,
- (4) वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं / बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ,
- (5) समस्त कोषालय / उप कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।

(डॉ. नवनीत मोहन कोठारी)

संचालक बजट एवं अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल